

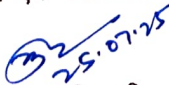
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०-

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 41/सन-2025- 26 से

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25.07.2025	—:आदेश:— यह विविध वाद अभिलेख सं०- 41/2025- 26 आवेदक विकाश कुमार सिंह, पिता- लक्ष्मी नारायण सिंह, साकिन- केन्दुआ, थाना- परसन ओ० पी०, धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 05, श्री अभिषेक कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05, श्री अभिषेक कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा- केन्दुआ, थाना नं०- 258 के अन्तर्गत खाता सं०- 49, 50 रैयती खाता एवं 51 गैरमजरूआ खास खाता की है। आवेदक के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह वगैरह को भूमि केवाला सं०- 635, दिनांक- 20.01.1958 को खरिदगी से हासिल है। जमाबंदी ऑनलाईन पंजी- II के भाग सं०- 1, पृष्ठ सं०- 25 पर कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2013- 14 तक निर्गत है। गैरमजरूआ खास खाता सं०- 51, प्लॉट 743 रकवा- 04 डी० को छोड़कर शेष भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी- II पर कायम करने की अनुशंसा की है। वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी- II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जमाबंदी रैयत के जीवित वारिष्ठानों ने शपथ पत्र सं०- 164, दिनांक- 10.07.2025 के माध्यम से शपथ पूर्वक कहा है कि वादगत भूमि में से गैरमजरूआ खास खाता सं०- 51, प्लॉट 743 रकवा- 04 डी० को छोड़कर शेष भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी- II पर कायम करने में उनलोगों को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में कोई आपत्ति करेंगे। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 05, श्री अभिषेक कुमार/अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद सं०- 166029/2013 - 14 तथा शपथ पत्र सं०- 164, दिनांक- 10.07.2025 और आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- केन्दुआ/258 के ऑनलाईन पंजी-II में भौतिक पंजी- II के भाग सं०- 1, पृष्ठ सं०- 25 पर कायम जमाबंदी के अनुरूप गैरमजरूआ खास खाता सं०- 51, प्लॉट 743 रकवा- 04 डी० को छोड़कर शेष भूमि यथा खाता सं०- 49, 50 प्लॉट नं०- 918 एवं अन्य, रकवा- 5.41 एकड़ भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	